HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16814/2025

Mukul S/o Devendra, Aged About 32 Years, R/o Randhirgarh, Thana Bhusawar, District Bharatpur, Rajasthan. (Presently Confined At District Jail, Bharatpur).

----Petitioner/Accused

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16898/2025

Umrao Mal S/o Dulharam, Aged About 38 Years, R/o Plot No. 100, Shivshakti Nagar, At Present Tenant Of Plot No. 101 House No. 205, Girraj Nagar, Mansarovar, P.s. Muhana, District Jaipur (Raj.) (Presently Lodged At Sever Jail Bharatpur).

----Petitioner/Accused

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17140/2025

Krishan Kumar Sharma S/o Shri Mukesh Chand Sharma, Aged About 28 Years, R/o Dahina Village, Police Station Gahnoli Mod, Presently Residing At G-21, Udv Apartment, Shivdaspura, Jaipur (Raj.) (At Present Confined In Central Jail, Bharatpur).

----Petitioner/Accused

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2431/2026

Rakesh Kumar S/o Shri Ashok Kumar, Aged About 26 Years, R/o Bhusawar, Police Station Bhusawar, District Bharatpur (Raj.) (Presently Confined At District Jail Bharatpur).

----Petitioner/Accused

Versus

The State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

For Petitioner(s)	:	Mr. Dharmendra Kumar with Mr. Sushil Yadav for Mr. Kapil Gupta Mr. S.S. Hora with Mr. Himanshu Agarwal and Mr. Dinesh Bishnoi Mr. J.K. Moolchandani Mr. Jai Prakash Gupta through VC
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakhar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**11/06/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**11/06/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**22/06/2026**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना मथुरागेट जिला भरतपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 703/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 3/21, 5/23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 तथा 3, 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 व 318(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त चारों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त चारों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि घटना/अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है, वे युवा हैं व शिक्षित हैं। उनके विरुद्ध कोई अन्य आपराधिक

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

Rajasthan High Court
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण विचाराधीन नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्वयं पीड़ित है और उन्होंने XPO.ru बेववाइट के माध्यम से निवेश किया था जिससे उनको लाभ हुआ था। उन्होंने कभी भी किसी व्यक्ति को XPO.ru बेवसाइट पर निवेश करने के लिए नहीं कहा। प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल का भाई अतुल शर्मा प्रकरण में आरोपी रहा है। उसके आरोपी रहने के आधार पर उसके परिवार के अन्य सदस्यों को अपराध कारित करने में अंतर्वलित नहीं माना जा सकता है, जब तक कि सुदृढ़ साक्ष्य अभियोजन पक्ष के पास नहीं हो। पुलिस ने पीड़ितों को ही अभियुक्त बना दिया है। अभियोजन का प्रकरण पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रत्यक्ष रूप से अपराध कारित करने में अंतर्वलितता रही हो, उन्होंने किसी व्यक्ति को निवेश करने के लिए कहा हो या निवेश करने पर रुपए दुगुना हो जाएगा या रुपयों में वृद्धि हो जाएगी, ऐसा कोई झूठा वचन नहीं दिया है। वाट्सऐप से सूचना जिसका पुलिस द्वारा सत्यापन नहीं किया गया और यूएसडीटी वॉलेट में किए गए इंद्राज के आधार पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अपराधी माना गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से जो रुपए, जेवरात और अन्य सामग्री बरामद हुई है वह प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की स्वयं की है। प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल के परिवार में विवाह था, उस उद्देश्य से उसके पास रुपए रखे हुए थे। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने जेवरात, रुपए किसी अन्य व्यक्ति को धोखे में रखकर या निवेश करने के लिए प्रेरित या प्राप्त किए हों, इस प्रकार की कोई साक्ष्य पत्रावली में नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को 27—28 दिन तक निरंतर अभिरक्षा में रखकर पूछताछ की गई। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण कृष्ण कुमार व मुकुल दिनांक 14.11.2025, राकेश कुमार शर्मा दिनांक 15.11.2025 से तथा उमरावमल दिनांक 18.11.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। जबकि उनके विरुद्ध आरोपित अपराध 7 वर्ष से कम की सजा के हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दिए हैं। बिना किसी न्यायसंगत उचित कारण के प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाना विचारण से पूर्व दंडित किए जाने के समान होगा। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के बिना किसी न्यायसंगत उचित कारण के

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

अभिरक्षा में रहना उनके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनकी स्वतंत्रता के मूल अधिकार के विरुद्ध है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने Satender Kumar Antil V. CBI and Anr. (2022) 10 SCC 51 विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध किसी व्यक्ति जेल में रखा जाना उसकी स्वतंत्रता के विधिक एवं संवैधानिक अधिकारों व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। Sanjay Chandra V. CBI 2012 (1) SCC 40 विनिश्चय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि निर्दोषिता की अवधारणा हमेशा अभियुक्त के पक्ष में लगती है, जब तक कि वह दोषसिद्ध नहीं हो जाता। ऐसे में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अनावश्यक न्यायिक अभिरक्षा में रखना विधि अनुकूल नहीं है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि स्वतंत्र साक्षी पी.डब्ल्यू 01 तुलाराम शर्मा अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जिसने उसके साथ कोई घटना घटित होना नहीं बताया है तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने उससे कोई पैसा लगाने के लिए कहा हो या कोई बातचीत हुई हो, ऐसा कथन नहीं किया गया है। पी.डब्ल्यू 02 होतम सिंह जो कि पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर में उपनिरीक्षक है, उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसने भी अपने बयान में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते समय प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का नाम XPO प्रकरणों की जांच में नहीं आया है, इस कारण से प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम नहीं था। अन्य साक्षी जितेन्द्र सिंह ने भी अपने बयान में यह कथन नहीं किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने उसे निवेश करने के लिए कहा हो या उसके साथ धोखाधड़ी की हो। उसने अपने बयानों में प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार शर्मा और राकेश कुमार को नहीं जानना बताया है। अन्य साक्षी पी.डब्ल्यू 03 पूरन सिंह जो फर्द बरामदगी से संबंधित साक्षी है, उसने भी अपने बयान में कथन किया है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से सामान जब्त करते समय ऐसा

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

कोई साक्ष्य सामने नहीं आया है जिससे पता चलता हो कि उक्त सामान XPO.ru के जरिये बनाया गया हो। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित किसी भी साक्षीगण ने प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किये जाते समय, उसके पूर्व अथवा उसके पश्चात् गिरफ्तारी के कारण व आधारों से उन्हें अवगत नहीं करवाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अवैध होने के कारण वे जमानत प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से जेवरात बरामद हुए हैं, वे उनके स्वयं की पत्नियों के हैं, जिनको पुलिस ने जब्त कर प्रकरण में शामिल कर लिया है, जबकि उक्त रूपये व सोने–चांदी के जेवर अपराध से प्राप्त रूपयों से लिये गये हों, ऐसा अन्वेषण के दौरान सामने नहीं आया है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, आरोप विरचित किये जा चुके हैं, विचारण किया जा रहा है, वे आठ महीने से अभिरक्षा में चल रहे हैं, अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षीगण ने उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं दी है, अन्वेषण के दौरान आई साक्ष्य से भी उनके विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नहीं होते हैं, उनके विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण नहीं रहा है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विनिश्चय प्रस्तुत किये:–

1. Renuka Prasad v/s State Represented by Assistant Superintendent of Police 2025 SCC Online SC 1074
2. Suresh Budharmal Kalani Alias Pappu Kalani V/s State of Maharashtra; (1998) 7 SCC 337
3. Arnesh Kumar v. State of Bihar; (2014) 8 SCC 273

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

4. Satendra Kumar Antil v. CBI & Anr.; (2022) 10 SCC 51
5. Satendra Kumar Antil v. CBI & Anr.; 2026 SCC OnLine SC 162
6. Pankaj Bansal v. Union of India; (2024) 7 SCC 576
7. Vihaan Kumar v. State of Haryana; (2025) 5 SCC 799
8. Prabir Purkayastha v. State (NCT of Delhi); (2024) 8 SCC 254
9. Mihir Rajesh Shah v. State of Maharashtra & Anr.; 2025 SCC OnLine SC 2356
10. Dr. Rajinder Rajan v. Union of India & Anr.; SLP (Crl.) No. 3326/2026
11. Ravi Meena v. Pushpendra Singh Rathore & Others; S.B. Civil Contempt Petition No. 507/2023 (Raj. HC)
12. In Re: Madhu Limaye; (1969) 1 SCC 292

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official सत्यमेव जयते

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि अनुसंधान के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि फॉरेक्स CFD एवं क्रिप्टो करंसी में निवेश के नाम पर XPO.ru वेबसाईट व ऐप के जरिये लोगों को उत्प्रेरित कर धनराशि एकत्रित की जा रही है। उक्त वेबसाईट भारत में किसी भी फाईनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी से पंजीकृत नहीं है और वह भारत में धनराशि एकत्रित नहीं कर सकती है। उक्त वेबसाईट प्रतिमाह एक लाख से अधिक लोगों द्वारा एक्सेस की जा रही है, जिसमें से 99 प्रतिशत लोग भारत के हैं। इसे अंकित अग्रवाल छद्म नाम से जयपुर से चला रहा है और वह उक्त वेबसाईट का डवलपर है। अनुसंधान के दौरान 3100 करोड़ रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। उक्त वेबसाईट वर्ष 2016 से अस्तित्व में आना बताया गया है, लेकिन वह वर्ष 2022 से कार्य कर रही है। सह–आरोपी अतुल शर्मा प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार का चचेरा भाई व प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल का भाई है, जो मुख्य प्रमोटर है। उसने लोन लेकर आठ लाख रूपये उक्त वेबसाईट में लगाये हैं। कन्वर्टर के रूप में प्रार्थी/अभियुक्त गुड्डु और राकेश का नाम आया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा वेबसाईट के जरिये झूठ फैलाकर राशि प्राप्त की गई है। प्रार्थी/अभियुक्त मुकुल कुमार से सोने की चेन, अंगूठी, एक मोबाईल व स्कॉर्पियो कार बरामद हुई है। उक्त मोबाईल के विश्लेषण से प्रिंस भाटी से मोबाईल की चैट मिली है, जो सह–अभियुक्त

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

अतुल का भाई है। प्रार्थी/अभियुक्त कृष्ण कुमार से स्कॉर्पियो कार व दो मोबाईल बरामद हुए हैं, जिसके विश्लेषण से वाट्सएप पर XPO के ग्रुप में चैट जो XPO टाईगर टीम भरतपुर का चलना, जिसमें कम रिटर्न मिलने पर सह–अभियुक्त अतुल शर्मा द्वारा ब्लॉक किये जाने का तथ्य सामने आया है। प्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार पाण्डेय पुत्र मुकेश चंद के कब्जे से 8,90,000/–रूपये नकद, सोने–चांदी की अंगूठी वगैरह मिले हैं और वाट्सएप पर पेमेंट लेने व चेक के ट्रांजेक्शन मिले हैं। प्रार्थी/अभियुक्त उमराव मल के कब्जे से सोने के दो कंगन, एक जोड़ी झुमके व अंगूठी, एक चेन, एक लेड़ीज हार व मर्सडीज मिली है, जिससे XPO का प्रचार प्रसार करना मोबाईल के विश्लेषण से सामने आया है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा सह–अभियुक्तगण से मिलकर व्यक्तियों को छलपूर्वक बड़ी राशि निवेश करने और बड़ा लाभ देने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी की है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 3/21, 5/23 अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम, 2019 तथा 3, 4 इनामी चिट फंड और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978 व 318(4), 112(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है, प्रकरण में विचारण किया जा रहा है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप गंभीर किस्म के हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारणों व आधारों से सूचित किया गया है, उनको गिरफ्तार करते समय उनको आरोपित अपराध में उनकी संलिप्तता से अवगत कराया गया है, फर्द गिरफ्तारी में उनके हस्ताक्षर हैं। अन्वेषण अधिकारी ने धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को नोटिस दिया है, उनको चैक लिस्ट द्वारा गिरफ्तारी का कारण दर्शित किया गया है व पूछताछ नोट तैयार किया गया है। तदुपरांत गिरफ्तारी आवश्यक होने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तारी के कारण व आधार की सूचना नहीं दी गई हो व गिरफ्तारी अवैध हो, यह नहीं माना जा सकता है। अतः

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जावें।

मैंने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली तथा प्रस्तुत विनिश्चयों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

इस प्रकरण में होतम सिंह उप निरीक्षक पुलिस थाना मथुरागेट, भरतपुर है, जो न्यायालय में पीडब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित हुआ है, उसके द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उक्त घटना की रिपोर्ट मुखबिर खास की सूचना और जानकारी के आधार पर दर्ज कराई गई है। मुखबिर खास की सूचना और जानकारी का उल्लेख पत्रावली पर नहीं है। घटना की रिपोर्ट में रजत शर्मा उर्फ राजेश कुमार, ईश्वर वर्मा, मगलेश कुमार शर्मा, सुरेन्द्र सैनी, शाहरूख खान, सुरेन्द्र बरवार, अतुल शर्मा, नरेन्द्र डागुर, सोनू उर्फ मनोज कुमार शर्मा एवं उसके अन्य साथियों द्वारा XPO.ru नामक बेवसाइट व मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से आम जनता को निवेश के नाम पर उच्च लाभ और बोनस का लालच देकर धनराशि एकत्रित किया जाना बताया गया है। घटना की रिपोर्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अपराध कारित करने में नाम नहीं है। पीडब्ल्यू 2 होतम सिंह ने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि एफ.आई.आर. दर्ज कराते समय मुकुल, राकेश और उमराव का नाम इस तथाकथित XPO.ru की जांच में नहीं आया, इस कारण एफ.आई.आर. में नाम नहीं था। प्रकरण का स्वतंत्र साक्षी पीडब्ल्यू 1 तुलाराम शर्मा अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित हुआ है तथा उसने अपने बयान की प्रतिपरीक्षा में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराधिक कृत्य किया जाना नहीं बताया है। अन्य साक्षी राजेन्द्र सिंह भी इस प्रकरण में परीक्षित हुआ है, जो प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मुकेश कुमार और कृष्ण कुमार को नहीं जानना कहता है, उनके द्वारा कोई रुपयों की मांग किया जाना या उसके कहने पर उसने निवेश किया हो इस तथ्य को नहीं कहता है। अन्य अभियुक्तगण के बारे में यह साक्षी कोई साक्ष्य नहीं देता है। पीडब्ल्यू 3 पूरन सिंह जो बरामदगी स्थल के नक्शा मौका, फर्द गिरफ्तारी व फर्द जब्ती से संबंधित साक्षी है, जो अपने बयान में यह कहता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से जो सामान जब्त हुआ है, वह उन्होंने XPO.ru के जरिए बनाया हो, उसका कोई कागज नहीं

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

मिला। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से जो प्रकरण में माल जब्त हुआ, वो माल प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करने से मिला हो या उन्होंने प्राप्त किया हो इस प्रकार के कोई तथ्य अनुसंधान में सामने नहीं आए हैं। अनुसंधान अधिकारी ने अनुसंधान के दौरान ऐसे कोई तथ्य नहीं जुटाए हैं, जिससे यह प्रथमदृष्ट्या माना जा सके कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से जो सामान या सामग्री बरामद हुई है, वह आपराधिक कृत्य से जुटाई हो। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण 8 महीने से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। इस स्तर पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित साक्ष्य व अन्वेषण में जुटाई गई साक्ष्य प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अपराध कारित करने से नहीं जोड़ती है। जहां तक प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अवैध होने का प्रश्न है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की फर्द गिरफ्तारी में उनके विरुद्ध आरोपित धारा व अधिनियम व उसके जुर्म से अवगत कराया जाना फर्द गिरफ्तारी में अंकित किया गया है। समस्त फर्द गिरफ्तारी पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के हस्ताक्षर हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से पूछताछ नोट अन्वेषण अधिकारी द्वारा बनाया गया है। धारा 35(3) बीएनएसएस 2023 का नोटिस प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को दिया गया है। चैक लिस्ट में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आवश्यक कारण अंकित किए जाने का तथ्य अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की गिरफ्तारी अवैध हो और उस आधार पर वह जमानत प्राप्त करने के अधिकारी हों, या उन्हें गिरफ्तारी के आधार और कारणों से अवगत नहीं कराया गया हो इस तथ्य को इस स्तर पर प्रथमदृष्ट्या प्रार्थीगण/अभियुक्तगण स्पष्ट करने में असफल रहे हैं।

इस प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार की गिरफ्तारी दिनांक 15.11.2025 को की गई है, लेकिन प्रकरण में 8 लाख 90 हजार रुपए व सोने व चांदी के सिक्के, मोबाइल व अन्य सामान जो बरामद हुए हैं, वे प्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार से जब्त नहीं होकर राकेश कुमार पांडेय पुत्र मुकेश चंद से बरामद होना अन्वेषण के दौरान सामने आया है। प्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार शर्मा पुत्र अशोक कुमार से

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)

कोई बरामदगी हुई हो या अपराध कारित करने में कोई अंतर्वलितता रही हो यह स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त राकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार का अपराध कारित करने में किस प्रकार अंतर्वलिता रही है यह इस स्तर पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. मुकुल पुत्र देवेन्द्र 2. उमराव मल पुत्र दूल्हाराम 3. कृष्ण कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकेश चन्द शर्मा 4. राकेश कुमार पुत्र अशोक कुमार** की ओर से प्रस्तुत चारों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

इस आदेश में दिया गया कोई भी मत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण करने पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI (VJ)),J

KISHAN SONI/Res.

Rajasthan High Court Web Copy - Not Official

(Uploaded on 22/06/2026 at 01:18:02 PM)
(Downloaded on 12/08/2026 at 09:24:32 PM)